Eco. (WAD) AIR No. 102/17-18

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 102 वर्ष 2017-18

निरीक्षण आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर के माह मई 2016 से जनवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तिमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14-02-2018 से 22-02-2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण दिनांक 19.02.2018 से 22.02.2018 में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. <u>परिचयात्मक:</u> इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री संजीव कुमार पाण्डेय एवं मनोज खंडुड़ी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.05.2016 से 20.05.2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 04/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

<u>क्रियाकलापः-</u>

राज्य योजना/जिला योजना, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित मार्गों का निर्माण/रखरखाव का कार्य। निक्षेप मद के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से विभिन्न निर्माण कार्य।

<u>भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-</u> ....

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15			421.95	419.52	1483.35	1483.32		.03
2015-16			517.00	425.78	1626.43	1605.47		20.96/ 91.22 समर्पित

2016-17		20.96	464.45	464.25	1001.07	940.00		61.07/.20 सम र्पत
2017-18 (जनवरी तक)		61.07	522.41	445.62	1317.38	1039.03		278.55/76.79

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	वशेष आयोजनगत के अंतर्गत		160	160	
2015-16	-do-		1403.97	1403.96	.01
2016-17	-do-	.01	1175	1175.01	
2017-18	-do-		1515.73	732.43	

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं केंद्र के द्वारा कया जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

प्रमुख स चव/स चव, लो0 नि0 व0, उत्तराखण्ड

↓

प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लो0 नि0 व0, उत्तराखण्ड

↓

मुख्य अ भयंता स्तर-1, लो0 नि0 व0, पौड़ी

↓

अधीक्षण अ भयंता 12वाँ वृत्त, लो0 नि0 व0, पौड़ी

↓

अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 व0, श्रीनगर पौड़ी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अ धकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 व0, श्रीनगर, पौड़ी के माह 08/2016 से 02/2018 तक के अ भलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 व0, श्रीनगर, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित

कया गया। एच एन बी गढ़वाल केंद्रीय वश्व वद्यालय के चौरास परिसर को शहर से जोड़ने हेतु अलकनंदा नदी पर 190 मीटर स्पान डबल लेन मोटर मार्ग का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर कया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 24.10.16 से 27.10.16 तक व 07.11.2017 से 10.11.2017 का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह जनवरी 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 240947.72

भाग द् वतीय ` 81017.85

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह फरवरी 2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	` 14,07,664.00
(ख)	सामग्री क्रय	` शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	` शून्य
(घ)	निक्षेप	` 1,27,71,232.00
(ङ)	भण्डार	...

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 1 मानको का पालन न करने से ` 77.01 लाख का अपव्यय।

As per IRC:SP:72-2007 Para 5.1.3 for rural roads designed for ESAL applications less than 100,000, a non-bituminous gravel surfacing is recommended as per Clause 402 of the MORD specifications, except for the very poor sub-grade strength (CBR-2) under traffic categories T2 and T3.

क्वीसू सुगाड़ी मोटर मार्ग की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 1809/11(2)/16-38 (एम०एल०ए०) /2016 दिनांक 26.05.2016 द्वारा 4.650 कमी लम्बाई हेतु ` 257.24 लाख की प्राप्त हुई। अभीतक (जनवरी 2018) तक ` 119.08 लाख के व्यय के साथ कार्य अपूर्ण था। लेखापरीक्षा में पाया गया क उक्त मार्ग का CBR 5 व ESAL 30,000-60,000 थी। IRC:SP:72-2007 Para 5.1.3 के अनुसार 100,000 से कम ESAL के लए non-bituminous gravel surfacing recommend कया गया है। मानक के अनुसार CBR 5 पर bituminous surface बनाने के लए न्यूनतम ESAL 1,00,000 होनी चाहिए जिसमे pavement thickness 300 mm होनी चाहिए। इस प्रकार स्वीकृत आगणन कसी भी दशा में मानको के समरूप नहीं है। इस प्रकार मानको से ज्यादा वशेषताओ को आगणन (आग णत लागत Rs **17128207.74**) में सम्म लत की गई।

Material	Quantity	Rate	Amount
RR stone masonary in coolie walling	581.25	1095.40	636701.25
Earth filling for making super	1309.64	64.40	84340.00
WBM Grade-1	1741.16	2626.40	4572982.62
WBM Grade-2	1196.02	2704.10	3234157.68
WBM Grade-3	1349.58	2708.00	3654662.64
Prime coat	18309.38	26.00	476043.88
Track coat	18309.38	9.70	177600.99
20 mm thick open grade Premix Carpet	18309.38	164.70	3015554.89
Seal Coat	18309.38	69.70	1276163.79
Total			**17128207.74**

आगणन में खर्सु ब्लॉक का दिनांक 01/05/2015 का SOR उपयोग में लाये गए। उक्त SOR में Gravel base की अ धकतम दरों (Rs. 2059.40) पर आगणन करने पर Rs. 9426584 (4577.345*2059.40) की लागत की आती। इस प्रकार ` 7701624 (17

128208 - 9426584) की बचत की जा सकती थी।

Particular	Calculation	Quantity

Gravel base for full length	4650*3.75*.250	4359.375
For curve	5%	217.97
Total		4577.345
Estimated cost (4577.345*2059.40)		**Rs. 9426584**

जैसा क लोक निर्माण वभाग सड़कों, सेतुओ व सरकारी भवनो के निर्माण, रखरखाव व योजना बनाने के लए उत्तरदायी है, खण्ड द्वारा शासन को नियमों/आईआरसी संस्तुतियों का संज्ञान दिलाते हुये उक्त बचत का प्रयास कया जाना था जो क नहीं कया गया।

इकाई ने अपने उत्तर में बताया क IRC:SP:72-2007 Para 6.1.3 (e) के अंतर्गत bituminous surface का प्रावधान कया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्यो क उक्त नियमों के अनुसार dust control के लए natural clay या hygroscopic product like low cost chlorides of calcium, magnesium or sodium का उपयोग कया जाना चाहिए। यदि यह प्र क्रया प्रभावी न हो तो तब thin bituminous surface treatment कया जाना चाहिए। इकाई द्वारा dust control हेतु उक्त प्र क्रया का अनुपालन नहीं कया।

अतः मानको का पालन न करने से ` 77.01 लाख का अपव्यय का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर: 2 - रु॰ 258.75 लाख का अधूरा निर्माण कार्य तथा 19.08 लाख की एलडी की वसूली न कए जाना |

Clause 4.5 if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर वधानसभा क्षेत्र में फरासू-मंदोली-चकवाली-चौखाल मोटर मार्ग के क0मी0 2 से क0मी0 11.00 तक डामरीकरण का कार्य की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 7076/III(2)/13-41(प्रा॰आ॰)/2013 दिनाक 20.12.2013 के द्वारा 10 कमी हेतु लागत ` 397.61 लाख की प्राप्ति हुई थी। इसकी प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयंता (ग0क्षे0), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 292/12(130)मा0मु0घो0(20)-पर्व0/2015 दिनाक 12.02.2015 के द्वारा प्रदान की गई।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क 10 क0मी0 लंबाई मार्ग के डामरीकरण के कार्य के सापेक्ष मात्र 9 क0मी0 लंबाई हेतु अनुबंध गठित कया गया। एक क0मी0 लंबाई मार्ग के अनुबंध गठित नहीं कया गया| आगे लेखा परीक्षा मे पाया गया क 9 क0मी0 लंबाई के कार्य को पूर्ण करने हेतु 7 अनुबंध (33/EE, 48/EE, 22/EE, 39/EE, 40/EE, 08/SE एवं 17/EE) ₹226.79 लाख गठित कए गए| उक्त अनुबंध मे से 6 अनुबंध (33/EE, 48/EE, 22/EE, 39/EE, 40/EE एवं 08/SE) कुल लागत ₹190.85 लाख के कार्य पूर्ण करने क ति थ (अगस्त16/नवम्बर16/दिसंबर16/जून17) थी | इस प्रकार उक्त गठित कए गए 6 अनुबंधो के अनुसार कार्य पूर्ण होने की ति थ से आति थ तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, साथ ही कसी भी ठेकेदार को समय वृद् ध नहीं दी गयी है न ही कसी पर भी ठेकेदार के देयक से LD की कटौती की गयी।

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया क बार-2 नि वदा आमंत्रित करने के उपरांत भी 9.00 क॰मी॰ लंबाई हेतु ही नि वदा प्राप्त होने के कारण 9 क॰मी॰ लंबाई हेतु अनुबंध गठित कए गए। समय वृद् ध प्रकरण स्वीकृति हेतु उच्चा धकारियों को प्रे षत है। स्वीकृति उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त एक कार्य को कई भागों में वभाजित करने के कारण नि वदा प्राप्त नहीं हो सकी एवं परिणामस्वरूप कार्य अधूरा रह गया। साथ ही 6 ठेकेदारों को आति थ तक कए गए भुगतान से कोई भी एलडी कटौती नहीं की गयी है।

अतः ₹ 19.08[1] लाख की एलडी की वसूली न कए जाने एवं रु॰ 258.75 लाख का अधूरा निर्माण कार्य का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है |

[1] अनुबंध लागत ₹1,90,84,522 का 10%

भाग दो (ब)

प्रस्तर: 3 - **₹1.97** करोड़ की एलडी की वसूली न कए जाना |

Clause 4.5 if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

जिला पौड़ी गढ़वाल में एच0एन0बी0 गढ़वाल केंद्रीय वश्व वद्यालय के चौरास परिसर को शहर से जोड़ने हेतु अलकनंदा नदी पर 190.00 मीटर स्पान डबल लेन मोटर सेतु के पुनर्निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 263/II (3)/13-22(एस0पी0ए0)/13, दिनाक 28.03.2013 के द्वारा लागत ₹ 1974.94 लाख की प्राप्ति हुई थी। इसकी प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयंता (ग0क्षे0), लोक निर्माण वभाग,पौड़ी के पत्रांक 236/01 याता0 (एस0पी0ए0)-पर्व0/2014 दिनाक 07.02.2014 के द्वारा प्रदान की गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु एक अनुबंध 19,68,72,300 का द्वारा 11/SE-12/13-14 दिनांक 26-02-14 गठित कए गया |

सेतु पुनर्निर्माण की संशो धत स्वीकृति उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 87/(1)/II(2)/18-22(एस0पी0ए0) टी0सी0, दिनाक 06.02.2016 के द्वारा कुल रु0 3637.46 लाख की प्राप्ति हुई थी।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क उक्त कार्य को पूर्ण करने के आधार पर कार्य समापन की ति थ में वस्तार करते हुये 22-02-2017 निर्धारित की गई। संबन्धित कार्य पर दिनांक 28.11.2017 तक रु0 29.22 करोड़ का व्यय कया जा चुका है तथा उक्त ति थ तक कार्य अपूर्ण था एवं उक्त वलंब के लए ठेकेदार के देयकों से कोई भी कटोती नहीं क गयी थी |

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया क कार्य समापन की ति थ मे वस्तार हेतु समय वृद् ध प्रकरण प्रमुख अ भयंता लोक निर्माण वभाग देहरादून को मुख्य अ भयंता गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रे षत है जिस पर स्वीकृति अपे क्षत है स्वीकृति होने पर समय वृद् ध की शर्तनुसार कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क ठेकेदार के 23वें देयक दिनांक 28.11.2017 (कुल भुगतान ₹ 28.45 करोड़) तक कोई भी एलडी कटौती नहीं की गयी है। अतः ₹ 1.97[2] करोड़ की एलडी की वसूली न कए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

---

[2] अनुबंध लागत 19,68,72,300 का 10%

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4 - रू0 1,73,050.00 कर एवं बिक्री छिपाने पर अर्थदण्ड रू0 3,46,100.00 कुल रू0 5,19,150.00 की राजस्व वसूली किया जाना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालक इंजीनियर,सी0पी0डब्लू0डी0 बीकानेर बनाम राजस्थान टैक्स सेशन बोर्ड अजमेर एण्ड अदर्स के वाद में दिये गये निर्णय 2005 (37) एस0टी0जे0–1 दिनांक 12/8/2004 में यह मत स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि यदि कोई भी संविदी विभाग किसी संविदाकार को कोई सामग्री देता है और उस सामग्री का मूल्य उससे या उसके देयकों से वसूलता है, तो वह उस संविदी विभाग की बिक्री कहलायेगीं। According to VAT Act -2005 Section 2(40) "Sale" with its grammatical variation and cognate expressions means any transfer of property in goods by one person[3] to another in the course of trade or business for cash or deferred payment or other valuable consideration, and includes-

(A) A transfer otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration.

(B) A transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract.

वैट अधिनियिम 2005 की धारा 58 (1) अनुसार यदि कोई भी ब्यौहारी जोकि इस अधिनियिम के अन्तर्गत पंजीकृत है और जानबुझकर अपनी खरीद एवं बिक्री कर की देयता से बचने के छिपाता है तो उस पर कर की धनराशि को तीन गुना अर्थदण्ड एवं 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड जो भी अधिक हो आरोपणीय होगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग श्रीनगर की लेखापरीक्षा माह 6/2016 की रोकड बही की जॉच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 14 दिनांक 8/6/2016/ Wood Hill Infrestructur Ltd को अनुबन्ध संख्या 13/एस0ई0–12/2012 दिनांक 21.3.2013 (एस0पी0ए0 के अन्तर्गत डुगरीपंथ छातीखल मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 17.50 किलोमीटर में सिगल लेन से डबल लेन में सुधारीकरण कार्य माप पुस्तिका संख्या 274/एल) को पूर्ण करने के लिये संविदाकार फर्म को रू0 34,61,000/00 का मैक्सफाल्ट दिया गया था। जिसकी वसूली उसके देय से की गयी है। खण्ड के द्वारा टैक्स पैड मैक्स फाल्ट का क्रय रूडकी लढोंरा से किया गया था। उक्त क्रय मैक्स फाल्ट को कार्य पूर्ण करने के लिये अवर अभियन्ता को निर्गत किया गया था। अवर अभियन्ताओं के द्वारा प्राप्त मैक्स फाल्ट को पुनः अपनी यू0एस0आर0 से अनुबन्धित संविदाकार को निर्गत करा गया था। जिसका उल्लेख अवर अभियन्ताओं को आर0एम0 आर0 में भी किया गया है। निर्गत सामग्री मात्रा की वसूली गठित एस0ओ0आर दरों पर प्रस्तुत संविदाकार के देयकों से करने के उपरान्त ही भुगतान किया गया था। परन्तु ऐसा करना वाणिज्य कर विभाग को खण्ड द्वारा अवगत नही कराया जाता है, बल्कि कहा जाता है, कि क्रय सामग्री का प्रयोग खण्ड के द्वारा स्वंय किया जाता है। विभाग के द्वारा ऐसा कर अपवंचन करने के उद्वेश्य से किया जाता है।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर बताया गया कि आकडों की पुष्टि की जाती है, यथाशीघ्र जॉचकर सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर सन्तोषनक नही था क्योकि विभाग के द्वारा जारी संविदाकार को फार्म 8 डी में निर्गत की गयी मात्रा एवं वसूल की गयी धनराशियों को नही दर्शाया गया है। जिसके कारण वार्णिज्य कर विभाग को कर की धनराशि 5 प्रतिशत का लाभ बिक्री करने पर प्राप्त नही हो सका विभाग के द्वारा ऐसा केवल कर अपवंचन से बचने के उद्वेश्य से किया गया था, यदि विभाग के अपनी खरीद एवं बिक्री जो एस0ओ0दरो0 पर की जाती हैं अंतिम कर निर्धारण आदेशों में वाणिज्य कर विभाग को अवगत कराया गया होता तो विभाग पर कर आरोपणीय किया जाता जिससे राजस्व की वसूली हो जाती जिससे शासन को वंचित रहना पडां ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	61/90-91	-	1,2,3,4,5
2.	190/1991-92		1,2,3,4,5
3.	64/1994-95	1,2,3	4,5
4.	188/1995-96	1	2,3
5.	167/1997-98	1,2	3
6.	198/1998-99	1,2	3
7.	18/2000-01	1	2
8.	47/2001-02	1	2
9.	40/2003-04	1,2,3	-
10.	78/2004-05	1,2	1
11.	86/2005-06	1	2
12.	36/2007-08	1,2	
13.	62/2008-09	1,2	-
14.	61/2011-12	1	-
15.	59/2012-13	1,2,3	1
16.	01/2014-15	**1,2,3**	**1,2,3,**4
17.	08/2016-17	1	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वभाग द्वारा उपरोक्त अनिस्तारित प्रस्तरों के संबंध में अपने उत्तर में बताया गया क अनुपालन आख्या दिनांक 22-02-2018 को ऑडट मीटिंग में महालेखाकर को उपलब्ध करा दिया गया है अतः उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी के अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
   - (i) माप पुस्तिका संख्या 273L/ 275L/ 276L/ 278L/ 283L/ 288L/ 284L/ 284L/ 272L/ 234L/ 248L/ 268L/ 264L/ 254L/ 246L/ 248L/ 238L/ 263L
   - (ii) रॉयल्टी स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं कया जाना ।
2. सतत् अनिय मतताएः
   - (i) शून्य
3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुरेश कुमार तोमर	अ धशासी अ भयंता

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, लेन्सडाउन, पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाए।

4. वगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहेः
   (i) सर्व श्री पदमेन्द्र संह, (ii) नरेंद्र संह रावत

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/आ र्थक क्षेत्र -2